

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

NOTIFICATION

Jaipur, February 23, 2022

In exercise of the powers conferred by section 51A and 51B of the Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003), the State Government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby notifies the following **“Amnesty Scheme for goods not subsumed in GST”**, hereinafter referred to as the scheme, for rebate of tax and waiver of interest, penalty and late fee, namely:-

1. Short title and operative period.- (1) This scheme may be called the Amnesty Scheme for goods not subsumed in GST.

(2) This scheme shall come into force with immediate effect and shall remain in force upto 31.8.2022.

2. Application.- This scheme shall be applicable to all dealers or persons having outstanding demands or disputed amounts created upto 31.01.2022 under any Act, pertaining to the goods included in the Entry 54 of the State List of the Seventh Schedule to the Constitution.

3. Definitions.- (1) In this scheme, unless the subject or context otherwise requires,-

(a) “Act” means any of the following Acts:-

- (i) The Rajasthan Sales Tax Act, 1954 (Act No. 29 of 1954);
- (ii) The Rajasthan Sales Tax Act, 1994 (Act No. 22 of 1995);
- (iii) The Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956); and
- (iv) The Rajasthan Value Added Tax Act, 2003 (Act No. 4 of 2003);

(b) “Applicant” means any dealer or person who conveys his willingness for availing benefit under this scheme;

(c) “Assessing Authority” means any officer or authority appointed under the Act;

(d) “Dealer” means any dealer as defined under the Act;

(e) “Declaration Form” means the statutory form or certificate prescribed under the Act for sale or purchase of goods at concessional rate of tax or exemption from tax;

(f) “Department” means the Commercial Taxes Department, Rajasthan;

(g) “Difference Tax” means difference between full rate of tax applicable in the State under the Act and concessional rate or exemption which is applicable on submission of declaration form;

(h) “Disputed Amount”, means any tax, interest, fee or penalty against which an appeal, revision, Writ Petition or Special Leave Petition is pending or contemplated including that pertaining to cases which have been remanded by any authority;

(i) “Final amount” means the amount of outstanding demand or disputed amount which the assessing authority determines after adjustment/rectification/reassessment etc., if any;

- (j) "Installment" means payment of outstanding demand or disputed amount in parts and at regular intervals;
- (k) "Outstanding Demand" means any demand pertaining to the Act, which is pending in the Demand and Collection Register;
- (l) "Phase" means the period for payment of the amount required as per column number 3 of Table-A, as mentioned in the following Table:-

Table

S.No.	Phase	Period
1.	Phase-I	Upto 30.06.2022
2.	Phase-II	01.07.2022 to 31.07.2022
3.	Phase-III	01.08.2022 to 31.08.2022

; and

- (m) "Tax" shall include the composition amount or lump sum in lieu of tax and exemption fee.

(2) The words and expressions used in this scheme but not defined shall have the same meaning as assigned to them in the Act to which the outstanding demand or disputed amount pertains.

4. Benefits under this scheme.- The rebate of tax and waiver of interest, penalty or fee shall be to the extent as mentioned in column number 4 of the Table-A given below on fulfillment of conditions as mentioned in column number 3, for the category of outstanding demand or disputed amount as mentioned in column number 2 of the said table and the conditions mentioned in clause 5 of this scheme:-

Table-A

For Rebate of Tax and/or Waiver of Interest, Penalty and Late Fee

S. No.	Category of outstanding Demand or disputed amount	Conditions	Extent of Rebate of Tax and/or Waiver of Interest, Penalty and Late Fee
1	2	3	4
1.	Outstanding demand or disputed amount pertaining to evasion cases and created upto 31.03.2017.	(i) Phase I: The applicant has deposited the whole amount of tax. (ii) Phase II: The applicant has deposited the whole amount of tax alongwith 5% of penalty. (iii) Phase III: The applicant has deposited the whole amount of tax alongwith 10% of penalty.	Remaining amount of penalty, whole amount of interest and late fee, if any, along with interest accrued upto the date of order under this scheme.
2.	Outstanding demand or disputed amount pertaining to evasion cases and created after 31.03.2017 and upto 31.01.2022.	(i) Phase I: The applicant has deposited the whole amount of tax alongwith 15% of interest and 15% of penalty. (ii) Phase II: The applicant has deposited the whole amount of tax alongwith 20% of interest and 20% of penalty. (iii) Phase III: The applicant has deposited the whole amount of tax alongwith 25% of interest and 25% of penalty.	Remaining amount of interest, penalty and late fee, if any, along with interest accrued upto the date of order under this scheme.

3.	Outstanding demand which relates to declaration forms.	(a) The applicant has submitted any of the following, alongwith an undertaking and details of declaration forms:- (i) counterfoil of the declaration form(s); or (ii) proof of prior submission of declaration form(s); or (iii) any other proof of inter-state sale or movement of goods.	Whole amount of difference tax, interest, penalty and late fee, if any, along with interest accrued upto the date of order under this scheme.
		(b) In cases not covered by (a) above,- (i) Phase-I: The applicant has deposited 20% of the difference tax. (ii) Phase-II: The applicant has deposited 25% of the difference tax. (iii) Phase-III: The applicant has deposited 30% of the difference tax.	Remaining amount of difference tax, whole amount of interest, penalty and late fee, if any, along with interest accrued upto the date of order under this scheme.
4.	Outstanding demand or disputed amounts created upto 31.03.2017 and not covered under category 1 or 3 above.	(i) Phase I: The applicant has deposited 90% of tax. (ii) Phase II: The applicant has deposited 95% of tax. (iii) Phase III: The applicant has deposited 100% of tax.	Remaining amount of tax, whole amount of interest, penalty and late fee, if any, along with interest accrued upto the date of order under this scheme.
5.	Outstanding demand or disputed amounts created after 31.03.2017 and upto 31.01.2022 and not covered under category 2 or 3 above.	(i) Phase I: The applicant has deposited whole amount of tax. (ii) Phase II: The applicant has deposited whole amount of tax along with 10% of the amount of interest, if any. (iii) Phase III: The applicant has deposited whole amount of tax along with 20% of the amount of interest, if any.	Remaining amount of interest, whole amount of penalty and late fee, if any, along with interest accrued upto the date of order under this scheme.

Explanation:

(1)(a) In cases other than those covered under sub-clause (b) below, where any dealer conveys his willingness for availing benefit of this scheme during the period of Phase-I, II or III; as the case may be and deposits the required amount within ten days from the day on which the assessing authority conveys the final amount required to be paid under this scheme or before the last date of the respective Phase, whichever is later, he shall be eligible for the benefits available in the Phase in which he had conveyed his willingness under this scheme. In case, the dealer fails to deposit the final amount in the time specified above, then he shall be eligible for the benefit under the phase in

which he deposits the amount required to be deposited as per the respective Phase and in case of continuance of default beyond the operative period of this scheme, he shall not be eligible for any benefit under this scheme.

- (b) Notwithstanding anything contained in sub-clause (a) above, the dealer may opt to make the payment required to be made under Table-A in equal monthly installments as under:

S. No.	Amount required to be deposited as per Table-A above (in Rs.)	Maximum number of installments allowed
1.	Upto 50 lakh	4
2.	More than 50 lakh and upto 1 crore	5
3.	More than 1 crore	6

The time period for making the payment in installments shall start with the acceptance of final amount and to avail the benefit of the Phase in which willingness under this scheme had been submitted, the applicant shall be required to deposit the first installment within ten days from the day on which the assessing authority conveys the final amount required to be paid under this scheme. Payment of subsequent installments shall become due after every thirty days of making payment of first installment. In case, the applicant who has opted for making payment in installments, fails to pay the required installments in the stipulated time, he shall not be eligible for any benefit under this scheme. However, the Commissioner may, if he is satisfied that the applicant was prevented by sufficient cause from paying the required installments in the stipulated time, he may condone such delay and may allow the applicant to avail the benefits under this scheme.

- (2) Where any amount has been deposited prior to issuance of this scheme against the demand after its creation, including the amount deposited for filing of an appeal, and if option is being submitted for the balance outstanding demand/disputed amount, the amount already deposited, if not adjusted in the Demand and Collection Register (DCR) prior to the issuance of this scheme and if not specifically mentioned in the challan, shall be adjusted firstly against the liability of tax, then it shall be adjusted against the liability of interest, penalty and late fee, respectively. However, if any amount has been deposited in compliance of any court order, it shall be adjusted accordingly. The benefits of this scheme shall be available only for the balance of outstanding demand/disputed amount as per the provisions of this scheme.
- (3) For category of outstanding demand or disputed amount where the dealer or person is not required to deposit any amount as per Table-A above, in such cases, he may convey the same to the Assessing Authority. In cases where no intimation is received from the dealer or person, the assessing authority may proceed to dispose the case at his own level.
- (4) Where the outstanding demand or disputed amount has already been deposited and demand for interest pertaining to the same is leviable but not levied, in such cases the interest payable along with the interest accrued upto the date of order under this scheme shall be waived to the extent as per Table-A above.

- (5) Where any application for adjustment/rectification/reassessment etc. related to the demand, for which the dealer or person intends to opt under this scheme is pending before the assessing authority concerned, then on intimation in writing from such dealer or person, he shall dispose it on priority basis.
- (6) In cases pertaining to disputed amount for which the demand is not outstanding in the Demand and Collection Register (DCR), the amount of tax, interest, late fee and/or penalty shall be deemed to be as per the original assessment/reassessment order. In such cases, the assessing authority concerned shall submit an application for withdrawal of the case pending before any Court or Tax Board or Appellate Authority, as the case may be, after deposit of prescribed amount as per Table-A above, within the stipulated time.

5. Conditions.- The benefits of this scheme shall be available on the fulfillment of the following conditions, namely:-

- (i) The applicant has deposited the amount required as per column number 3 of the Table-A above within the operative period of this scheme or as per Explanation (1) to clause 4 above, as the case may be;
- (ii) The applicant has submitted an undertaking for withdrawal of case, if any, pending before any Court or Tax Board or Appellate Authority, as the case may be, within the operative period of this scheme; and
- (iii) No refund shall be allowed due to rebate of tax and/or waiver under this scheme.

6. Procedure for availing benefit.- (1) To avail the benefit under this scheme, the applicant shall electronically convey his willingness on the Commercial Taxes Department's website www.rajtax.gov.in regarding the same to the concerned Assessing Authority.

(2) Separate intimation of willingness shall be conveyed for outstanding demands/ disputed amount under separate Acts as well as before separate Assessing Authorities.

(3) In case of any dealer or person opting for benefits under this scheme, the Assessing Authority shall electronically convey the details of pending demand(s) and disputed amount against the dealer or person along with the payment to be made in pursuance of this scheme and consequent benefits to be accrued.

(4) The detailed procedure, clarification and order for removal of difficulties, if any, for availing benefit under this scheme shall be as notified by the Commissioner, Commercial Taxes Department, Rajasthan.

(5) In case of any dispute regarding the categorization of outstanding demand or disputed amount under serial number 1 to 5 of Table-A, the decision of Commissioner, Commercial Taxes shall be final.

[No.F.12(11)FD/Tax/2022-104]

By order of the Governor,



(Tina Dabi)

Joint Secretary to the Government

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)
अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 23, 2022

राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4) की धारा 51क और 51ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, कर की रिबेट और ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस के अधित्यजन के लिए निम्नलिखित "जीएसटी में सम्मिलित नहीं किये गये माल के लिए एमनेस्टी स्कीम", जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, इसके द्वारा अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रवर्तन कालावधि.- (1) इस स्कीम का नाम जीएसटी में सम्मिलित नहीं किये गये माल के लिए एमनेस्टी स्कीम है।

(2) यह स्कीम तुरंत प्रवृत्त होगी और 31.08.2022 तक प्रवृत्त रहेगी।

2. लागू होना.- संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 54 में सम्मिलित माल के संबंध में यह स्कीम ऐसे समस्त व्यवहारियों या व्यक्तियों पर लागू होगी जिनके विरुद्ध अधिनियम के अधीन 31.01.2022 तक सृजित परादेय मांग या विवादित रकम हैं।

3. परिभाषाएं.- (1) इस स्कीम में, जब तक विषय या संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से निम्नलिखित में से कोई अधिनियम अभिप्रेत है :-

(i) राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 29);

(ii) राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (1995 का अधिनियम सं. 22);

(iii) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 74);

(iv) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम सं. 4);

(ख) "आवेदक" से कोई व्यवहारी या व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने की अपनी रजामंदी सूचित करता है;

(ग) "निर्धारण प्राधिकारी" से अधिनियम के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी या प्राधिकारी अभिप्रेत है;

(घ) "व्यवहारी" से अधिनियम के अधीन यथापरिभाषित कोई व्यवहारी अभिप्रेत है;

(ङ) "घोषणा प्ररूप" से कर की रियायती दर पर माल के विक्रय या क्रय या कर से छूट के लिए अधिनियम के अधीन विहित कानूनी प्ररूप या प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(च) "विभाग" से वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान अभिप्रेत है;

(छ) "अंतर कर" से अधिनियम के अधीन राज्य में लागू कर की पूर्ण दर और रियायती दर या छूट, जो घोषणा प्ररूप के प्रस्तुत किये जाने पर लागू है, के मध्य अंतर अभिप्रेत है;

(ज) "विवादित रकम" से कोई कर, ब्याज, फीस या शास्ति अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध कोई अपील, पुनरीक्षण, रिट याचिका या विशेष अनुमति याचिका लंबित या अनुध्यात है और इसमें वे मामले भी सम्मिलित हैं जो किसी प्राधिकारी द्वारा रिमांड किये गये हैं;

- (झ) "अंतिम रकम" से परादेय मांग की वह रकम या विवादित रकम अभिप्रेत है जो समायोजन/परिशुद्धि/पुनर्निर्धारण इत्यादि, यदि कोई हो, के पश्चात् निर्धारण प्राधिकारी ने अवधारित की है;
- (ञ) "किस्त" से परादेय मांग या विवादित रकम का, भागों में और नियमित अंतरालों पर संदाय अभिप्रेत है;
- (ट) "परादेय मांग" से अधिनियम से संबंधित कोई मांग, जो मांग और संग्रहण रजिस्टर में लंबित है, अभिप्रेत है;
- (ठ) "चरण" से सारणी-क के स्तम्भ संख्यांक 3 के अनुसार अपेक्षित रकम के संदाय के लिए, निम्नलिखित सारणी में यथावर्णित अवधि अभिप्रेत है :-

सारणी

क्र.सं.	चरण	अवधि
1.	चरण-I	30.06.2022 तक
2.	चरण-II	01.07.2022 से 31.07.2022
3.	चरण-III	01.08.2022 से 31.08.2022

; और

(ड) "कर" में प्रशमन रकम या कर के बदले में एकमुश्त राशि और छूट फीस सम्मिलित है।

(2) इस स्कीम में प्रयुक्त किये गये किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जैसा उन्हें उस अधिनियम में समनुदेशित किया गया है जिससे परादेय मांग या विवादित रकम संबंधित है।

4. इस स्कीम के अधीन फायदे.- कर की छूट और ब्याज, शास्ति और फीस का अधित्यजन नीचे दी गयी सारणी-क के स्तम्भ संख्यांक 2 में यथावर्णित परादेय मांग या विवादित रकम के प्रवर्ग पर स्तम्भ संख्यांक 3 में यथावर्णित शर्तों और इस स्कीम के खण्ड 5 में वर्णित शर्तों के पूर्ण किये जाने पर स्तम्भ संख्यांक 4 में यथावर्णित सीमा तक होगा:-

सारणी-क

कर की रिबेट और/या ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस के अधित्यजन के लिए

क्र. सं.	परादेय मांग या विवादित रकम का प्रवर्ग	शर्तें	कर की रिबेट और/या ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस के अधित्यजन की सीमा
1	2	3	4
1.	अपवंचन मामलों से संबंधित परादेय मांग या विवादित रकम और जो 31.03.2017 तक सृजित हुई है।	(i) चरण-I: आवेदक ने कर की संपूर्ण रकम जमा करा दी हो। (ii) चरण-II: आवेदक ने शास्ति के 5 प्रतिशत के साथ कर की संपूर्ण रकम जमा करा दी हो।	शास्ति की शेष रकम, इस स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ ब्याज और

		(iii) चरण-III: आवेदक ने शास्ति के 10 प्रतिशत के साथ कर की संपूर्ण रकम जमा करा दी हो।	विलंब फीस, यदि कोई हो, की संपूर्ण रकम।
2.	अपवंचन मामलों से संबंधित परादेय मांग या विवादित रकम और जो 31.03.2017 के पश्चात और 31.01.2022 तक सृजित हुई है।	(i) चरण-I: आवेदक ने ब्याज के 15 प्रतिशत और शास्ति के 15 प्रतिशत के साथ कर की संपूर्ण रकम जमा करा दी हो। (ii) चरण-II: आवेदक ने ब्याज के 20 प्रतिशत और शास्ति के 20 प्रतिशत के साथ कर की संपूर्ण रकम जमा करा दी हो। (iii) चरण-III: आवेदक ने ब्याज के 25 प्रतिशत और शास्ति के 25 प्रतिशत के साथ कर की संपूर्ण रकम जमा करा दी हो।	इस स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्धृत ब्याज के साथ ब्याज, शास्ति और विलंब फीस, यदि कोई हो, की शेष रकम।
3.	परादेय मांग जो घोषणा प्ररूपों से संबंधित हो।	(क) आवेदक, वचनबंध और घोषणा प्ररूपों के ब्यौरों के साथ, निम्नलिखित में से कोई एक प्रस्तुत कर देता है:- (i) घोषणा प्ररूप (प्ररूपों) का प्रतिपर्ण; या (ii) घोषणा प्ररूप (प्ररूपों) के पूर्व प्रस्तुतीकरण का सबूत; या (iii) माल के अन्तरराज्यिक विक्रय या संचलन का कोई अन्य सबूत। (ख) उपर्युक्त (क) में नहीं आने वाले मामलों में:- (i) चरण-I: आवेदक ने अंतर कर का 20 प्रतिशत जमा करा दिया हो। (ii) चरण-II: आवेदक ने अंतर कर का 25 प्रतिशत जमा करा दिया हो। (iii) चरण-III: आवेदक ने अंतर कर का 30 प्रतिशत जमा करा दिया हो।	इस स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्धृत ब्याज के साथ अंतर कर, ब्याज, शास्ति और विलंब फीस, यदि कोई हो, की संपूर्ण रकम। अंतर कर की शेष रकम, इस स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्धृत ब्याज के साथ ब्याज, शास्ति और विलंब फीस, यदि कोई हो, की संपूर्ण रकम।
4.	31.03.2017 तक सृजित और उपर्युक्त प्रवर्ग 1 या 3 के अधीन नहीं आने वाली परादेय	(i) चरण-I: आवेदक ने कर का 90 प्रतिशत जमा करा दिया हो। (ii) चरण-II: आवेदक ने कर का 95 प्रतिशत जमा करा दिया हो।	कर की शेष रकम, इस स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्धृत ब्याज के

	मांग या विवादित रकम।	(iii) चरण-III: आवेदक ने कर का 100 प्रतिशत जमा करा दिया हो।	साथ ब्याज, शास्ति और विलंब फीस, यदि कोई हो, की संपूर्ण रकम।
5.	31.03.2017 के पश्चात् और 31.01.2022 तक सृजित और उपर्युक्त प्रवर्ग 2 या 3 के अधीन नहीं आने वाली परादेय मांग या विवादित रकम।	(i) चरण-I: आवेदक ने कर की संपूर्ण रकम जमा करा दी हो। (ii) चरण-II: आवेदक ने ब्याज की रकम, यदि कोई हो, के 10 प्रतिशत के साथ कर की संपूर्ण रकम जमा करा दी हो। (iii) चरण-III: आवेदक ने ब्याज की रकम, यदि कोई हो, के 20 प्रतिशत के साथ कर की संपूर्ण रकम जमा करा दी हो।	ब्याज की शेष रकम, इस स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ शास्ति और विलम्ब फीस, यदि कोई हो, की संपूर्ण रकम।

स्पष्टीकरण:

(1)(क) उन मामलों को छोड़कर जो नीचे उप-खण्ड (ख) के अधीन आते हैं जहां कोई व्यवहारी चरण-I, II या, यथास्थिति, III की कालावधि के दौरान इस स्कीम के फायदे उपभुक्त करने के लिए अपनी रजामंदी सूचित करता है और उस दिन से, जिसको निर्धारण प्राधिकारी इस स्कीम के अधीन संदत्त की जाने अपेक्षित अंतिम रकम सूचित करता है, दस दिन के भीतर या क्रमिक चरणों की अंतिम तारीख से पूर्व, जो भी पश्चात्पूर्ती हो, अपेक्षित अंतिम रकम जमा करा देता है, वह उस चरण में उपलब्ध फायदों का पात्र होगा जिसमें उसने इस स्कीम के अधीन अपनी रजामंदी सूचित की है। यदि, व्यवहारी उपर्युक्त विनिर्दिष्ट समय में अंतिम रकम जमा करवाने में असफल रहता है, तब वह उस चरण में फायदों के लिए पात्र होगा, जिसमें उसने अपेक्षित रकम जमा की है और इस स्कीम की प्रवर्तन कालावधि से परे व्यतिक्रम की निरन्तरता के मामले में, वह इस स्कीम के अधीन किसी फायदे के लिए पात्र नहीं होगा।

(ख) उपर्युक्त उप-खण्ड (क) में अंतर्विष्ट किसी बात के होने पर भी व्यवहारी, सारणी-क के अधीन किया जाने वाला अपेक्षित संदाय, निम्नानुसार समान मासिक किस्तों में करने का विकल्प दे सकेगा-

क्र.सं.	उपर्युक्त सारणी-क के अनुसार निक्षिप्त की जाने वाली अपेक्षित रकम (रु. में)	किस्तों की अनुज्ञात अधिकतम संख्या
1.	50 लाख तक	4
2.	50 लाख से अधिक और 1 करोड़ तक	5
3.	1 करोड़ से अधिक	6

किस्तों में संदाय करने के लिए कालावधि, अंतिम रकम की स्वीकृति से प्रारंभ होगी और आवेदक यदि उस चरण के फायदे लेना चाहता है जिसके लिए उसने इस स्कीम के अधीन अपनी रजामंदी दी है तो उससे उस दिन से, जिससे इस स्कीम के अधीन संदत्त किये जाने के लिए अपेक्षित अंतिम रकम निर्धारण प्राधिकारी द्वारा सूचित की जाती है, दस दिन के

भीतर प्रथम किस्त निक्षिप्त की जानी अपेक्षित है। पश्चात्पूर्वी किस्तों का संदाय, प्रथम किस्त के संदाय किये जाने के प्रत्येक तीस दिवस के पश्चात् शोध्य होगा। यदि आवेदक, जिसने किस्तों में संदाय का विकल्प दिया है, नियत समय में अपेक्षित किस्तों का संदाय करने में विफल रहता है, वह इस स्कीम के अधीन किसी फायदे के लिए पात्र नहीं होगा। तथापि आयुक्त, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक को नियत समय में अपेक्षित किस्तों का संदाय करने से परावृत्त किये जाने के समुचित कारण थे, तो वह ऐसे विलंब को माफ कर सकेगा और आवेदक को इस स्कीम के अधीन फायदे उपभुक्त करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

- (2) इस स्कीम के जारी किये जाने से पूर्व अपील फाइल किये जाने के लिए निक्षिप्त रकम को सम्मिलित करते हुए जहां कोई रकम मांग के विरुद्ध, उसके सृजन के पश्चात्, इस स्कीम के जारी होने से पूर्व जमा की गयी है और यदि अतिशेष परादेय मांग/विवादित रकम के लिए विकल्प प्रस्तुत किया जाता है, वहां पूर्व में जमा रकम को, यदि इस स्कीम के जारी किये जाने से पूर्व मांग और संग्रहण रजिस्टर (डी.सी.आर.) में समायोजित नहीं किया गया है और यदि चालान में विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं है, तो प्रथमतः यह कर दायित्व के विरुद्ध, तत्पश्चात् क्रमशः ब्याज, शास्ति और विलम्ब फीस के दायित्व के विरुद्ध समायोजित की जायेगी। तथापि यदि किसी न्यायालय आदेश की अनुपालना में कोई रकम जमा की गयी है तो वह तदनुसार समायोजित की जायेगी। इस स्कीम के फायदे केवल इस स्कीम के उपबंधों के अनुसार परादेय मांग/विवादित रकम के अतिशेष के लिए उपलब्ध होंगे।
- (3) परादेय मांग या विवादित रकम के प्रवर्ग के लिए जहां व्यवहारी या व्यक्ति से उपर्युक्त सारणी-क के अनुसार कोई रकम जमा कराने की अपेक्षा नहीं की गयी है, वहां ऐसे मामलों में, वह निर्धारण प्राधिकारी को उसकी सूचना दे सकेगा। ऐसे मामलों में जहां व्यवहारी या व्यक्ति से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, निर्धारण प्राधिकारी मामले को अपने स्तर पर निपटाने के लिए अग्रसर हो सकेगा।
- (4) जहां परादेय मांग या विवादित रकम पूर्व में ही जमा कर दी गयी है और उससे संबंधित ब्याज के लिए मांग उद्ग्रहणीय है किन्तु उद्ग्रहीत नहीं की गयी है, वहां ऐसे मामलों में इस स्कीम के अधीन आदेश की तारीख तक प्रोद्भूत ब्याज के साथ संदेय ब्याज का उपर्युक्त सारणी-क के अनुसार अधित्यजन किया जायेगा।
- (5) जहां मांग, जिसके लिए व्यवहारी या व्यक्ति इस स्कीम के अधीन विकल्प देने का आशय रखता है, से संबंधित समायोजन/परिशुद्धि/पुनर्निर्धारण के लिए कोई आवेदन संबंधित निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष लंबित है, तब ऐसे व्यवहारी या व्यक्ति से लिखित में संसूचना पर वह उसे प्राथमिकता के आधार पर निपटायेगा।
- (6) विवादित रकम से संबंधित मामले, जिनके लिए मांग और संग्रहण रजिस्टर (डी.सी.आर.) में कोई मांग परादेय नहीं है, कर, ब्याज, विलम्ब फीस और/या शास्ति की रकम मूल निर्धारण/पुनर्निर्धारण आदेश के अनुसार समझी जायेगी। ऐसे मामलों में संबंधित निर्धारण प्राधिकारी नियत समय के भीतर उपर्युक्त सारणी-क के अनुसार विहित रकम के जमा किये जाने के पश्चात् किसी न्यायालय या कर बोर्ड या, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी के समक्ष लंबित मामले के प्रत्याहरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा।

5. शर्तें.- इस स्कीम के फायदे निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने पर उपलब्ध होंगे, अर्थात्:-

- (i) आवेदक ने इस स्कीम की प्रवर्तन कालावधि के भीतर उपर्युक्त सारणी-क के स्तम्भ संख्यांक 3 के अनुसार या, यथास्थिति, उपर्युक्त खण्ड 4 के स्पष्टीकरण (1) के अनुसार अपेक्षित रकम जमा करा दी है;
- (ii) आवेदक ने किसी न्यायालय या कर बोर्ड या, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी के समक्ष लंबित मामले, यदि कोई हो, के प्रत्याहरण के लिए वचनबंध इस स्कीम की प्रवर्तन कालावधि के भीतर प्रस्तुत कर दिया है; और
- (iii) इस स्कीम के अधीन कर की छूट और/या अधित्यजन के कारण कोई प्रतिदाय अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।

6. फायदा प्राप्त करने के लिए प्रक्रिया.- (1) इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के लिए आवेदक संबंधित निर्धारण प्राधिकारी को इस संबंध में वाणिज्यिक कर विभाग की वेबसाइट www.rajtax.gov.in पर उसकी रजामंदी इलेक्ट्रानिक रूप से सूचित करेगा।

(2) पृथक् अधिनियमों के अधीन साथ ही पृथक् निर्धारण प्राधिकारियों के समक्ष परादेय मांगों/ विवादित रकम के लिए रजामंदी की पृथक्-पृथक् सूचना दी जायेगी।

(3) इस स्कीम के अधीन फायदों का चयन करने वाले किसी व्यवहारी या व्यक्ति के मामले में निर्धारण प्राधिकारी, व्यवहारी या व्यक्ति के विरुद्ध लंबित मांग (मांगों) और विवादित रकम के ब्यौरे इस स्कीम के अनुसरण में किये जाने वाले संदाय और प्रोद्भूत किये जाने वाले पारिणामिक फायदों सहित इलेक्ट्रानिक रूप से सूचित करेगा।

(4) इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के लिए ब्यौरेवार प्रक्रिया, स्पष्टीकरण और कठिनाईयां, यदि कोई हों, के निराकरण के लिए आदेश ऐसे होंगे जो आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान द्वारा अधिसूचित किये जायें।

(5) सारणी-क के क्रम संख्यांक 1 से 5 के अधीन परादेय मांग या विवादित रकम के प्रवर्गीकरण से संबंधित किसी विवाद के मामले में आयुक्त, वाणिज्यिक कर का विनिश्चय अंतिम होगा।

[प.12(11)वित्त/कर/2022-104]

राज्यपाल के आदेश से,


(टीना डबी)

संयुक्त शासन सचिव